

समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शास्त्रा)

:- आदेश :-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 27-01-2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इवन्जेलिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीइस) बिहार के संयुक्त तत्वाधान में जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिलास्तरीय उब्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार वरीय उप समाहर्ता (आपदा), मधेपुरा को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। वरीय उप समाहर्ता जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कायम कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कोठपा के विभिन्न धाराओं का प्रभावी अनुपालन तथा दण्ड व्यवस्था को गति प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। मधेपुरा जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

४०/-

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

ज्ञापांक २४९/गो०, मधेपुरा दिनांक २८/०१/१५

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मधेपुरा /सभी प्रभारी विकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधेपुरा जिला /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी सी०डी०पी०ओ०, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों /सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करना एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि जिले के सभी समाचार पत्रों में उपरोक्त आदेश का नियमित अंतराल पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : सभी सदस्य, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनार्वाचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना /राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्वास्थ्य सचिव-सह- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा /पुलिस उप महानीरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

२८/१५/१५

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।